न्यायालय नायब तहसीलदार कालेड़ा... (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का कालेड़ा

बनाम

अप्रार्थी :– श्रीमती हम्मीदा पत्नी पिनारा निवासी कालेड़ा अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 42/2018

निर्णय — दिनांक 4.7.2018

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कालेड़ा ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा संवत 2075 में सरहद कालेड़ा के खसरा नम्बर 409 मी. किस्म गै.मु. रास्ता में रकबा 0.0027 है. बीघा भूमि में चबूतरा टीनशेड लगा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी — से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री — ने दिनांक — को उपस्थित होकर — प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी का मौजा कालेड़ा के खसरा नम्बर 409 किस्म गै.मु. रास्ता में रकबा 0.0027 है. बाबा की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 12 – रूपये प्रति बीघा की दर से अतिक्रमित रकबा 0.0027 है. बीघा भूमि के 0.0324 है. रूपये लगान का 50 गुणा 2 /– अक्षरे दो रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 4.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप तहसीलदार पीलवा